राजस्व अपील संख्या : 37/2025
उनवान : हरीलाल व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/157

अपीलाण्ट्स :–

1. हरीलाल पुत्र मोड़ाजी
2. बाबुलाल पुत्र मोडाजी
3. नेनाराम पुत्र मोड़ाजी तमाम जातिगण सरगरा, निवासीगण ग्राम मुठाणा, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 454/2025 उनवान सरकार बनाम हरीलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 17.02.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 454/2025 उनवान सरकार बनाम हरीलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 को निरस्त** करने हेतु पेश की। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा मुठाणा, पटवार हल्का गुड़ा जाटान तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 148 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन में मकान कब्जा का निर्माण बाबत् अतिक्रमण बताकर तहसीलदार देसूरी ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर 91 आर.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाण्ट पर बेबुनियाद जुर्माना अधिरोपित किया जिससे व्यथीत होकर अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त अपील निम्न आधारों व उजरातों के आधार पर प्रस्तुत की गई:–

1. यह है कि मातहत न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्याय, विधि व विधिक सारवान सिद्धान्तों के खिलाफ है क्योंकि दिया गया आदेश एक छपा–छपाया परफोर्मा है उसमें खाली जगह को भर कर फैसला दिया है जो non application of Mind के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 37 / 2025
उनवान : हरीलाल व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

आधार पर दिया गया है जो किसी भी दशा में ठहरने योग्य नहीं है क्योंकि न्यायालय ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया है।

2. यह है कि मातहत न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को अंतिम मान लिया है हल्का पटवारी से cros examination करने का पक्षकार को अवसर नहीं दिया है, न ही साक्ष्यों की विस्तृत व्याख्या की है। अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने जवाब में तथ्य प्रस्तुत किये है उनकों रिकॉर्ड पर नहीं लिया है व न ही उनकी विस्तृत व्याख्या की है। मौके पर नाप चौक नहीं किया गया और वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया जब तक की प्रभावित पक्ष की उपस्थिति में नाप चौक नहीं हो जाता है तब तक यह पता नहीं चलता है कि वाकई में उक्त मकान निर्माण प्रतिबंधित भूमि में है या नहीं क्योंकि गावाही आबादी भूमि का विस्तार 50 वर्षों में काफी बढ़ गया है उसमें गावाही आबादी का विस्तार हुआ है गांव की आधी आबादी इसी खसरे में बसी हुई है ऐसा बताया जा रहा है लेकिन आबादी के नक्शे में उक्त खसरा कितना प्रभावित होता है यह नाप चौक से ही मालुम पड़ता है सीधे तौर से ही उसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है।

3. यह है कि मातहत न्यायालय ने speaking order नहीं किया है मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए two line order किया है तथा किये गये two line order में reasons assign नहीं किये गये है। ऐसा Order Bad in law है। समय की सीमा उसका बचाव नहीं है। अवैधानिक आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है। अवैधानिक आदेश को चुनौति दी जाने के लिए समय की सीमा बाधा नहीं है, समय की सीमा एक तकनीकी कारण है, मामले को मात्र तकनीकी पैचिदगियों में उलझाकर सारवार कानून का गला नहीं घोटा जा सकता। जिस प्रकरण में substantial questions of law involve हो वहां मामले को सदैव मैरिट पर तय करना चाहिए, समय की सीमा वहां महत्वहीन हो जाती है। अपीलाण्टगण अनुसूचित जाति के लोग है, निहायत गरीब, अनपढ़ व कमजोर वर्ग के ग्रामीण अंचल के लोग है इस कारण उनके प्रति उदारता का रुप अपनाते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए मामले को मैरिट पर तय करने का आदेश करना व समीचीन है।

4. यह है कि मातहत न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलाण्टगण के जवाब को एक दृष्टि भी पढ़ा होता तो उसमें स्पष्ट किया गया कि अपीलाण्टगण अपने परिवार सहित, मवेशियों सहित व घर गृहस्थी सहित निवास कर रहे है तथा मौके पर पक्का निर्माण किया हुआ है। उक्त मकान के अलावा अपीलाण्टगण के रहने व जीने के लिए अन्यत्र कोई मकान नहीं है। ऐसी दशा में गावाही नक्शे को इम्पोज कर उसका सर्वे कर यह देखना चाहिए कि वाकई में खसरा नम्बर 148 में किस सीमा तक अपीलाण्टगण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

P.T.O.

अतिक्रमी है तथा किस सीमा तक प्राकृतिक जल स्त्रोत व पानी की आवक प्रभावित हो रहे है।

5. यह है कि Land is relative term है यानि कि भूमि एक सापेक्ष शब्द है जो प्राकृतिक स्वरुप में अदलती–बदलती रहती है। जहां आज औरण बताई गई है, हो सकता है वहां वर्तमान में औरण की सकूनत नहीं हो, मात्र किस्म लिख देने से औरण की सकूनत प्राप्त नहीं हो सकती है, औरण वह स्थान है जहां से प्राकृतिक स्वरुप जल बहाव व water seepage बना रखा है जिसमें प्राकृतिक स्वरुप को बनाये रखने के लिए उसका महत्व होता है अब वास्तव में वहां पर पैड़ पौधे, वन्य जीवन जन्तु प्राकृतिक पानी का स्त्रोत वर्तमान में है या नहीं या उक्त भूमि औरण का स्वरुप खो चुकी है। इस कारण दिया गया आदेश विधि के अनुकुल नहीं है।

6. यह है कि मातहत न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि कोई भी Standing Crop कोई निर्माण, कोई deposition का मामला होता है तो उसमें पक्षकारों को अलग से सम्मन देना पड़ता है, सीधे ही उसे हटाने का आदेश कानून की रुह के खिलाफ है इस कारण दिया गया आदेश निरस्त करने योग्य है।

यह है कि अपीलाण्टगण को सीधे तौर से घर से बेघर कर दिया तो उनके जीने की समस्या पैदा हो जायेगी क्योंकि 50 वर्षो से भी अधिक समय से निर्माण का काम करके अपीलाण्टगण उक्त मकानों में वर्षो वर्ष से निवास कर रहे है तथा राज्य सरकार के पास उनको rehabilitate करने की कोई नीति नहीं है। अन्ततोगत्वा अपीलाण्ट citizen of India है, उनको जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा न ही उनके जीने के अधिकार को Two line Order से समाप्त किया जा सकता है। इस कारण दिया गया आदेश मात्र खानापूर्ति वाला आदेश है जिसमें किसी तरह का Application of Mind नहीं है, मात्र Two line Order पारित किया गया है इस कारण सुविधा का संतुलन अपीलाण्टगण के पक्ष में है। यदि अवैधानिक आदेश की ओट में अपीलाण्टगण को मौके से बेदखल कर दिया गया तो अपीलाण्टगण बेघरबार हो जायेंगे तथा उनको अपूर्णीय क्षति होगी जिसे रुपयो पैसों से नहीं आकी जा सकेगी।

8. यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने jagpal v/s state of Punjab S.C. 2011 में विशिष्ठ रुप से यह हैल्ड किया है कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति व कमजोर वर्ग के लोग ने प्रतिबंधित भूमियों पर निर्माण का काम करके रहवास व निवास कर रहे है तो ऐसी दशा में ऐसे अतिक्रमण के मामले में प्रशासन व न्यायालय को उन लोगों को हटाने से पूर्व उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 37/2025
उनवान : हरीलाल व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

सम्भवतः उनको नहीं हटाना जाना चाहिए तथा उन्हें किसी भी तरह से नियमित कर भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार के पास प्रार्थीगण को हटाने से पूर्व उनको rehabilitate करने की कोई पॉलिसी नहीं है। यदि उन्हें तत्काल ही हटा दिया गया तो प्रार्थीगण के अधिकार प्रभावित होंगे तथा प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे तथा भारतीय अवधि वर्जित अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है इस कारण न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

अतः अपील अपीलाण्टगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि मातहत न्यायालय द्वारा धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत अमल में लाई गई जुर्माना व बेदखली के सम्बन्ध में दिनांक 19.03.2025 को दिये गये आदेश को सिरे से निरस्त फरमावें एवं अन्य कोई दादरसी हो तो अपीलाण्टगण के पक्ष में मुफिद फरमावें।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष ने वक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ज़ैर अपील आलोच्य बेदखली आदेश दिनांक 19.03.2025 पारित करने से पूर्व समुचित जाँच सम्पादित नहीं की गई। साइक्लोस्टाईल प्रारुप में Non Speaking आदेश पारित कर कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की हैं, जिसे अपास्त फरमावें।

अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा वक्त बहस उपस्थित नहीं आने से अपीलार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलार्थी ने अपील मीमों के सहवर्ती एक मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलार्थिगण को ग्रामीण परिवेश एवं अनपढ़ व कमजोर वर्ग से सम्बन्धित होने तथा हस्तगत प्रकरण में विधि के सारभूत प्रश्न अन्तर्निहित होने के आधार पर अपील को गुणावगुण/मेरिट पर निर्णीत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी का उपशमन करने का निवेदन किया।

चूंकि अप्रार्थीपक्ष द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र का प्रतिकार/खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है, अतः अन्य प्रतिकूल विकल्प के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

प्रकरण के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से तलब ज़ैर अपील आलोच्य प्रकरण संख्या 454/2025 की मूल पत्रावली के गहनतापूर्वक अवलोकन से ज़ाहिर होता है कि हल्का पटवारी गुड़ा जाटान द्वारा तहसीलदार देसूरी को दिनांक 28.02.2025 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थीगण/गैर सायलान का मौज़ा मुठाणा में गै.मु.ओरण की भूमि खसरा संख्या 148 में 0.10 हैक्टेयर पर कच्चा वाडा व मकान के रुप में अतिक्रमण है। उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 37/2025
उनवान : हरीलाल व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के उपबन्धान्तर्गत प्रकरण संख्या 454/2025 दर्ज किया गया तथा गैर सायल/अपीलाण्ट को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। नियत सुनवाई तिथि 28.02.2025 को अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। तदुपरान्त आगामी सुनवाई तिथि 19.03.2025 को अपीलाण्ट्स गैर सायलान के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर प्रकरण को निर्णीत किया गया। उक्त मूल पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 16.09.2025 से यह भी ज्ञात होता है कि प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि पर से अपीलार्थीगण को बेदखल भी किया जा चुका है।

अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 454/2025 के अध्ययन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अतिक्रमित भूमि खसरा संख्या 148 गै.मु. ओरण की भूमि है जो "डीम्ड फॉरेस्ट" श्रेणी की प्रतिबन्धित भूमि में शुमार है। साथ ही, यह भी निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को उपस्थिति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। गैर सायलान्/अपीलाण्ट्स स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया था। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि गैर सायलान ने अधीनस्थ न्यायालय में गै.मु. ओरण की भूमि पर अतिक्रमण के आक्षेप का खण्डन नहीं किया बल्कि भूमिहिन व कमजोर वर्ग से सम्बन्धित होने का कथन करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया।

अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 454/2025 में सम्पादित कार्यवाही विधि सम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

साथ ही, तहसीलदार देसूरी को निर्देश दिए जाते है कि मौजा मुठाना की गैर मुमकीन ओरण की भूमि खसरा संख्या 148 पर अन्य लोगों के भी अतिक्रमण होने बाबत् आक्षेप की जाँच करें, एवं अतिक्रमण पाया जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के उपबन्धानुसार अतिक्रमणरोधी कार्यवाही प्रभाव में लावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner